न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 07/2014

अपीलान्ट

लेरी बेवा लसमा जाति भील निवासी मनादरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही

बनाम

रेस्पोडेन्ट :–

1 भुबाराम पुत्र रावताजी जाति भील निवासी मनादरा तहसील शिवगंज जिला सिरोही

2 राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार शिवगंज

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री नगेन्द्र मेड़तिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री महेश शर्मा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक:– 31.8.18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज द्वारा राजस्व वाद संख्या 53/2012 भुबाराम बनाम लेरी वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.08.2018 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम मनादर के खसरा नम्बर 1305 रकबा 27.16 बीघा, खसरा नम्बर 1579 रकबा 13.05 बीघा कुल खसरा 2 जिसका कुल रकबा 41 बीघा 1 बिस्वा की भूमि अपीलाण्ट के पिता लसमा भील की खातेदारी भूमि थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर उक्त भूमि को अपनी पुश्तैनी होना बताते हुए जैर अपील वादस्थ भूमि में से अपने 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। अपीलाण्ट का पुत्र करताराम मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति था, उसे स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लाता ले जाता था। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट को न तो जैर अपील प्रकरण की जानकारी थी तथा न ही उनके द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया, इसके बावजूद भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने विश्वास में रखते हुए अपीलाण्ट से वकालतनामा पर हस्ताक्षर करवाए। जैर अपील वादस्थ भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पुश्तैनी भूमि ही नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वालाजी का पौत्र ही नहीं है एवं न ही वालाजी के रावता नामक कोई पुत्र था। वालाजी के एकमात्र पुत्र लसमा था एवं अपीलाण्ट लसमा की पत्नी के तौर पर वर्तमान में एकमात्र वारिश है। इस भूमि में रावता का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर ही प्रदान नहीं किया तथा न ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बिना किसी अधिकार के खातेदारी अधिकार प्रदान किए है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट की पुश्तैनी भूमि है। राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट के पिता का नाम दर्ज नहीं था, किन्तु जैर अपील वादस्थ भूमि के 1/2 हिस्से पर पूर्व में अपीलाण्ट के पिता एवं उनके पश्चात अपीलाण्ट काबिज काश्त है। इस सम्बन्ध में स्वयं अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में इकरारनामा निष्पादित किया है। इन समस्त दस्तावेजात् को दृष्टिगत रखते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जैर अपील वादस्थ भूमि को अपने दादा वालिया उर्फ बालाजी पुत्र वक्ता जी की खातेदारी होना बताते हुए उक्त भूमि में अपने पिता रावता का 1/2 हिस्सा होना जाहिर किया तथा रावता फौत होने के कारण उक्त 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, इसके अतिरिक्त उक्त भूमि के सम्बन्ध में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य हुए इकरारनामा के आधार पर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण जवाब का अवसर बन्द किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी द्वारा अपने वाद को साबित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 से प्रदर्श–4 पेश किए तथा मुख्य परीक्षण में स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भुबाराम, पी0डब्ल्यू02 मांगीलाल पुत्र तेजाजी तथा पी0डब्ल्यू03 शंकरलाल पुत्र छोगाजी परीक्षित हुए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील निर्णय के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को जैर अपील वादस्थ भूमि के 1/2 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित किया गया है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मुख्य रूप से दो आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, प्रथम – अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned by CamScanner

अधिकारों की घोषणा की जा सकती है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत यह है कि इस प्रकार के दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं की जा सकती है एवं इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में जो विवेचना की गई है, हम उससे पूर्णतः सहमत है। अब द्वितीय बिन्दु यह प्रकट होता है कि –क्या जैर अपील वादस्थ भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पुश्तैनी है ? इस बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। मुख्य परीक्षण में स्वयं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा यह स्वीकार किया है, कि ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। इसके अतिरिक्त स्वतन्त्र साक्ष्य के रूप में परीक्षित गवाह पी0डब्ल्यू0 2 एवं पी0डब्ल्यू0 3 भी इस बिन्दु पर मौन ही रहे। जब उक्त तथ्य किसी दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य से साबित ही नहीं होता, तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस रूप में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया, यह स्पष्ट ही नहीं है। चूंकि न तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 न तो यह सिद्ध कर पाया कि वह वालीया का पौत्र है तथा न ही यह सिद्ध कर पाया कि जैर अपील वादस्थ भूमि में उसका हक हिस्सा निहित है, तो इस स्थिति में इस बिन्दु का समुचित परीक्षण किया जाना आवश्यक था एवं इसके अतिरिक्त यह बिन्दु विधिक परीक्षण का भी मोहताज था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर जिस रूप में विवेचित किया है, वह आधारहीन है, जिसे किसी भी रूप में समर्थन नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री विधिक दृष्टिकोण से त्रुटीपूर्ण है, जिसे कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) शिवगंज द्वारा राजस्व वाद संख्या 53/2012 भुबाराम बनाम लेरी वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.08.2018 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, उपरोक्त Observation के आधार पर प्रकरण का परीक्षण कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.8.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned by CamScanner